न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 68/2020 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती चुन्नी बाई पुत्री मेगा जी डांगी पत्नी हेमा जी डांगी, निवासी सोनलाई (खरबड़ों का गुड़ा), हाल आवलिया का कुंआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. दोला पिता रामा जी डांगी, निवासी सोनलाई (खरबड़ों का गुड़ा) तहसील मावली
2. रामा पिता उदा जी डांगी, निवासी सोनलाई (खरबड़ों का गुड़ा) तहसील मावली
3. श्रीमती दाई बाई पुत्री मेगा जी डांगी पत्नी भूरा जी डांगी, निवासी सोनलाई (खरबड़ों का गुड़ा), हाल मजेरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती हरकू बाई पुत्री मेगा जी डांगी पत्नी डालू जी डांगी, निवासी सोनलाई (खरबड़ों का गुड़ा), हाल घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली, प्रकरण संख्या 213/2018 दिनांक 08.01.2020

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट

———:::———

निर्णय दिनांक 21–11–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष उदा जी थे, जिसके दो पुत्र मेगा व रामा हुए। मेगा की पुत्रियां वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है, जबकि रामा के दो पुत्र भग्गा व दोला हुए, जिसमें भग्गा लाऔलाद फोत हो गया। मौजा माणक्यावस में आराजी नंबर 1782, 1783, 1785, 1786, 1787 1788, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 कुल किता 11 रकबा 14 बी घा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादिया के पिता रामा का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात के साबिक आराजी नंबर 1592, 1593, 1594, 1597, 1598, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604 थे, जो संवत् 2010 में उदा जी के नाम दर्ज थे। वादिया को हाल ही में पता चला कि उक्त भूमि का [illegible] 1 व मृतक भग्गा के नाम पर विक्रय पत्र दिनांक 14–08–[illegible]80 [illegible] नाम पर खोला गया, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

वादिया के मुकाबले प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। अतः वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादीया की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 08–01–2020 से वादिया का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीया यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–10–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उनके कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करने से उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलान्ट ग्रामीण अशिक्षित महिला है, जिसे निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 21–09–2020 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्ट/वादिया की एकपक्षीय बहस सुनकर पारित किया गया। ऐसी स्थिति में निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं होने का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय विवादित आराजियात मौरूसी होने से वादिया का जन्म से अधिकार निहित है, लेकिन प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने धोखा देकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व मृतक भग्गा के पक्ष में दिनांक 14–08–1980 को विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया, जो अपीलान्ट के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं जल्दबाजी में बिना पत्रावली का अवलोकन किये निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। यह भूमि सेटलमेन्ट की जमाबन्दी प्रदर्श 5 अनुसार उदा के नाम दर्ज थी, जिसके दो पुत्र मेगा व रामा हुए। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 मेगा की पुत्रियां है एवं अपीलान्ट/वादिया द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार मेगा का उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा था, किन्तु मेगा ने दिनांक 14–08–1980 को अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भग्गा व दोला पिता रामा के पक्ष में कर दिया गया है, जिससे उक्त आराजियात में मेगा अथवा उनके वारिसान के कोई हक अधिकार अब शेष नहीं रहे हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में पुत्रियां का भी पिता की सम्पत्ति में हक हिस्सा माना गया है, किन्तु उक्त विक्रय पत्र वर्ष 1980 का है और उस वक्त मेगा अकेला हिन्दु कर्ता खानदान था व बेटियां कोपार्शनर नहीं थीं। अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की स्पष्ट व्याख्या करते हुए विवादित आराजियात में वादिया/अपीलान्ट का हक हिस्सा नहीं होना मानते हुए उनका वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री मेगा जी पत्नी हेमा डांगी, नि. सोनलाइ (खरबड़ों का गुड़ा, हाल आवलिया का कुंआ, तह0 मावली, जिला उदयपुर बनाम **दोला पिता रामा डांगी, नि. सोनलाई (खरबड़ों का गुड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**68 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....08**.....माह.....**01**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**...माह.....**11**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र चौधरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–01–2020 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**11**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested